न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 218/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
हीराराम पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी सांजू उप तहसील सांजू तहसील डेगाना जिला नागौर।		राज.सरकार जरिये नायब तहसीलदार सांजू।

उपस्थिति :–
1. श्री कैलाश गालवा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

दिनांक:01.08.19

निर्णय

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार, सांजू द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 169/2018 सरकार बनाम हीराराम में निर्णय दिनांक 07.09.18 के तहत मौजा सांजू के खसरा नं. 1175 रकबा 0.04 बीघा गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 19.11.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 14.12.18 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में उप तहसीलदार सांजू के प्रकरण सं. 169/18 सरकार बनाम हीराराम की पत्रावली की फोटोप्रति, अपीलांट हीराराम के आधार कार्ड तथा मतदाता पहचान पत्र की फोटोप्रति, अपीलांट के पुत्र भोमाराम द्वारा जिला कलक्टर महोदय नागौर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, अपीलांट द्वारा नायब तहसीलदार सांजू को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, एसडीओ डेगाना को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति तथा नक्शा किश्तवार मौजा सांजू की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि दिनांक 25.10.18 को पुलिस थाना डेगाना के कार्मिक अपीलांट के घर आये व आदेश दिनांक 07.09.18 की जानकारी दी, तब अपीलांट भौचका रह गया व अपीलांट के विरूद्व हुई कार्यवाही की अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा आदेश दिनांक 07.09.18 की भी सर्वप्रथम जानकारी हुई। जिस पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय से आदेश दिनांक 07.09.18 की नकल हेतु आवेदन दिनांक 30.10.18 को प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 31.10.18 को अपीलांट को आदेश दिनांक 07.09.18 की नकले प्राप्त हुई, जिस पर अपीलांट ने आदेश का अवलोकन व अध्ययन किया, पश्चात दीपावली के अवकाश समाप्त होने के उपरांत अपील पेश की गई। अपील पेश करने मे हुआ विलंब सदभावी जानकारी के अभाव मे हुआ विलंब है, जो क्षमा योग्य है तथा इस तकनीकी सहवन से रही त्रुटि मात्र को क्षमा किया जाकर अपील पेश करने मे हुए विलंब को कंडोन करते हुए अपील जानकारी से अंदर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निस्तारित करने का निवेदन किया है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून तथ्यो व परिस्थितियो के विरूद्व साक्ष्य व रेकर्ड के विरूद्व तथा मौके की स्थिति के विरूद्व होने के अतिरिक्त प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(II)–अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर ही नही दिया एवं मात्र ग्यारह दिनो मे ही अपीलांट का प्रकरण निस्तारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अल्प समय मे ही बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना जवाब व साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय जैर अपील पारित किया है, इस कारण निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(III)–अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो उपस्थित हुआ, न ही अपीलांट की पर्याप्त व समुचित तामील करवायी गई। तामील के संबंध मे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 के आज्ञापक प्रावधानो की खुली अवहेलना अधीनस्थ न्यायालय ने करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है तथा अपीलांट को बिना साक्ष्य, सबूत व सुनवाई का अवसर दिये आदेश जैर अपील पारित किया है, जो इस आधार मात्र से ही खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–अपीलांट वृद्व व शरीर से अत्यधिक कमजोर व्यक्ति है, जो चलने फिरने मे भी बिना सहारे के असमर्थ है तथा पिछले दस वर्षो से बिस्तर पर है। ऐसी स्थिति मे पटवारी हल्का की पूर्व की रिपोर्ट व वर्तमान रिपोर्ट हास्यास्पद है, क्योकि अपीलांट बिना सहारे खडा होने की स्थिति मे नही होने के उपरांत भी पटवारी हल्का ने झूठी रिपोर्ट पेश कर संवत 2073 व पश्चातवर्ती संवत 2075 का अतिक्रमी बता दिया, जबकि गांव के सरपंच व कुछ अन्य सरपंच पक्ष के व्यक्तियो द्वारा झूठी शिकायत अपीलांट के पुत्रो के विरूद्व पेश करने पर उनके प्रभाव मे आकर के अपीलांट के विरूद्व पूर्व मे व वर्तमान मे संवत 2075 मे गलत रूप से आदेश जैर अपील पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(V)–ग्राम सांजू के खसरा नं. 1175 गै.मु. रास्ते पर वर्तमान सरंपच द्वारा ग्रेवल रोड का निर्माण नही करवाकर अन्यत्र निर्माण करवाया गया था, जिसका विरोध अपीलांट के पुत्रो द्वारा किया गया एवं शिकायत पेश की गई, जिससे सरपंच क्रोधित होकर सरपंच पक्ष के व्यक्तियो द्वारा झूठी शिकायत पेश कर अपीलांट के विरूद्व नायब तहसीलदार सांजू व पटवारी हल्का सांजू से मिलावट कर झूठी रिपोर्ट के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया है, जो विधि विरूद्व व सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VI)–अपीलांट का उक्त गै.मु. रास्ते पर आज दिन किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है व जो भी पूर्व मे अतिक्रमण था, वो अपीलांट के पुत्रो द्वारा स्वतः हटा लिया गया। ग्राम पंचायत सांजू के सरपंच द्वारा अपनी मनमर्जी अनुसार कटाणी रास्ते पर ग्रेवल रोड का निर्माण नही कर अन्यत्र निर्माण करवाया गया है व राजस्व नुकसान किया गया, जिनका ऐतराज अपीलांट के पुत्रो द्वारा करने पर सरपंच व सरपंच पक्ष द्वारा झूठी शिकायतो के आधार पर व पटवारी हल्का व नायब तहसीलदार सांजू को अपने प्रभाव मे लेकर आदेश जैर अपील पारित करवा दिया, जो विधि विरूद्व अवैध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VII)–प्राकृतिक न्याय का यह सुस्पष्ट सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्व निर्णय पारित करने से पूर्व उसे साक्ष्य, सबूत व जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये, मगर वर्तमान प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु का नजरअंदाज कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किया बिना व अपने मे निहित क्षेत्राधिकारो का गलत रूप से प्रयोग करते हुए निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत निर्णय नही होने के कारण निरस्तनीय है।

{2}(VIII)–वकील अपीलांट द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अपीलांट द्वारा आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा लिया गया है तथा रास्ता सुचारू रूप से संचालित है तथा तहसीलदार द्वारा गठित टीम ने भी रास्ते का आवागमन सुचारू रूप से होना माना है। इसलिये अपीलांट का अब कोई अतिक्रमण नही रह जाने से सिविल कारावास की सजा निरस्त की जानी चाहिये।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा सांजू में स्थित गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके सांजू के खसरा नंबर 1175 रकबा 0.04 बीघा गै.मु. रास्ता भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है, जो सार्वजनिक उपयोगी भूमि होने से नियमन योग्य भी नही है। इससे पूर्व प्रकरण सं. 23/16 निर्णय दिनांक 27.07.16 की पालना मे दिनांक 11.6.18 को भौतिक रूप से बेदखल किया जाना फर्द बेदखली 11.6.18 से साबित है तथा इस बेदखली कार्यवाही को

अपर कलक्टर, नागौर

पटवारी के बयान दिनांक 07.09.18 से साबित भी करवाया गया है। इस प्रकार अतिक्रमण की पुनरावृति किया जाना भी साबित है। अपीलांट द्वारा आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा लिया गया हो ऐसी कोई दस्तावेजी सबूत रिकार्ड पर नही है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील के तहत बेदखली, जुर्माना व सिविल कारावास यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर